


20-5-25

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/...  
 के लिए मौका चाहते हैं अतः अपसर दिया  
 आकर दिनांक. 21.5.25....को पेश हों।

21.5.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी  
 अधिवक्ता द्वारा विवेदन किया गया कि मूल पत्रावली  
 वास्ते आदेश/वसूली हेतु नियत थी, परन्तु अधिवक्ता के  
 नाट होने के रह जाने के व अधिवक्ता के अर्थात् उदयपुर  
 से बाहर होने के कारण दिनांक 6.11.2024 को अदम एज्यूसी  
 अदम पेशी के खोजि हो चुका है। प्रार्थी द्वारा उपस्थित होने  
 में जानबुझकर कोई गलती नहीं की गई है। अतः उच्च  
 पुनः दर्ज कर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण फरमाया जाय।  
 पत्रावली का अखलोकन किया गया। मूल अपील वसूली  
 मुनीजाकर अन्तर्वेज प्रस्तुत करने हेतु नियत थी तथा दिनांक  
 6.11.24 को अपीलार्थी के उपस्थित होकर अन्तर्वेज पेश नहीं  
 किए जाने पर खोजि कर दी गई। उक्त अपील अन्तिम एजेज  
 पर होने के अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया  
 जान उचित होने के कारण अन्तर्वेज प्रस्तुत स्वीकार  
 किया जान उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सं. 0929/का



# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

विपक्षी

निमित्त

पत्रावली संख्या 1125

सन

पुस्तकदमा

कार्यवाही विवरण

हर  
सू

आदेश पा. नि. क्र. 17 के तहत लीका (बिमा गांव) के  
बथा मूल अपील प्रकरण संख्या 2024/202 (4/10/24) के माध्यम  
वास्तु वनायक अंशकाल निर्णय दिनांक 6.11.2024  
अपाह्न कर पुनः नम्बर पा. लि. क्र. जाने के आदेश दि. 6  
जाने के निर्णय से इजलास खुताया गया  
~~प्रकरण~~ प्रकरण फलल शुमार होकर नम्बर से  
कर हो।

↓  
( सोनिया कुमारी )  
IAS